

समाचार व विज्ञापन
के लिए सम्पर्क करें
मुबारक खान
सम्पादक
मो. 9214839374

RNI Title Code : RAJBIL27060

फतेह एक्सप्रेस

सुविचार
आवाज ऊंची होगी
तो कुछ लोग ही
सुनेंगे,
लेकिन अगर बात
ऊंची होगी तो बहुत
लोग सुनेंगे।

राष्ट्रीय द्विभाषीय पाक्षिक समाचार पत्र

वर्ष 01 अंक : 04

अजमेर, 10 फरवरी, 2024

मूल्य ₹ 4

पृष्ठ-4

'भारत नहीं करता किसी भी देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप'

विदेश मंत्रालय की कनाडा को खरी-खरी

नई दिल्ली। भारत और कनाडा के बीच जारी विवाद धमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया था कि नई दिल्ली उसके यहां होने वाले चुनावों में हस्तक्षेप कर सकता है। वहीं, कनाडा द्वारा भारत पर लगाए गए इन सभी आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने खारिज करते हुए कनाडा को खरी-खरी सुनाया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कनाडा के चुनावों में भारतीय हस्तक्षेप को निराधार करार देते हुए खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा उल्टा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप की जांच कर रहे कनाडाई आयोग के बारे में मीडिया रिपोर्ट देखी हैं।



हस्तक्षेप की जांच कर रहा संघीय आयोग

मालूम हो कि कनाडा स्थित सीटीवी न्यूज ने बताया कि विदेशी हस्तक्षेप की जांच के लिए कनाडा का संघीय आयोग देश के पिछले दो आम चुनावों में भारत द्वारा कथित हस्तक्षेप की जांच करना चाहता है। आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने संघीय सरकार से इन आरोपों से

संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा है। सीटीवी न्यूज के मुताबिक, आयोग की अंतिम रिपोर्ट 3 मई को आने वाली है, और अंतिम रिपोर्ट साल के अंत तक आने की उम्मीद है। मालूम हो कि यह पहली बार नहीं है, जब कनाडा ने भारत पर इस तरह का आरोप लगाया है। इससे पहले कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या

कनाडा कर रहा है हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप

उन्होंने कहा कि हम कनाडा के चुनावों में भारतीय हस्तक्षेप के ऐसे निराधार आरोपों को सिर से खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना भारत सरकार की नीति नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कनाडा इसके विपरीत हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है।

मामले में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। भारत ने इस मामले को भी खारिज करते हुए साक्ष्य देने को कहा था।

अब इंटरनेशनल करना हुआ अनिवार्य...मिलेंगे क्रेडिट अंक

अजमेर. यूजीसी कोर्स में दाखिला लेने वाले युवाओं को अब कमाई के साथ ही शोध और इंटरनेशनल करने का मौका मिलेगा। इसके लिए उन्हें क्रेडिट अंक भी दिए जाएंगे। यूजीसी ने इसे लेकर सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को पत्र भेजवा दिया है।

यूजीसी के सचिव प्रो. मनीष जोशी के आदेशानुसार, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में यूजी स्तर पर पढ़ाई के साथ-साथ इंटरनेशनल की शुरुआत होगी। नोटल अधिकारी को शोध व इंटरनेशनल के लिए संस्थानों का चयन करना होगा। जिसमें स्थानीय उद्यम, लोक कला, बिजनेस हाउस, औद्योगिक समूह, और अन्य को शामिल किया जाएगा।

असल में है क्या यूसीसी और क्या बदल जाएगा इससे; कोर्ट भी कर चुका पैरवी, 9 देशों में लागू

नई दिल्ली। समान नागरिक संहिता लागू होने से आम लोगों के विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार जैसे कानूनों में एकरूपता आ जाएगी। जैसे अभी अपराधिक कानून धर्म, लिंग, क्षेत्र के भेदभाव के बिना सब पर एक समान लागू होते हैं, इसी तरह अब नागरिक कानून में भी यह समानता कायम हो जाएगी। जबकि अभी नागरिक कानून में धर्म और लिंग के आधार पर काफी असमानताएं हैं।

देहरादून के सीनियर एडवोकेट संजीव शर्मा के मुताबिक देश में दो तरह की संहिता है एक अपराधिक संहिता जिसे सामान्य भाषा में आईपीसी के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरी तरफ निजी कानून है, जिन्हें पर्सनल लॉ कहा जाता है। पर्सनल लॉ में हिंदू मैरिज ऐक्ट, आनंद कारज ऐक्ट, मुस्लिम लॉ प्रमुख तौर पर शामिल हैं, पर्सनल लॉ शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद, संरक्षण जैसे गतिविधियों को नियमित करते हैं, यह अपने-अपने धर्म के अनुसार सब पर अलग-अलग लागू होते हैं।

देहरादून के एक और सीनियर एडवोकेट गौरव शर्मा के मुताबिक, अपराधिक कानून के तहत देश के सभी राज्यों में सभी नागरिकों के लिए चोरी की एक बराबर सजा है।

नेपाल समेत नौ देशों में समान नागरिक संहिता लागू

भारत के पड़ोसी देश नेपाल समेत दुनिया के 9 मुल्कों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली पांच सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, नेपाल, फ्रांस, अजरबैजान, जर्मनी, जापान और कनाडा में यूसीसी लागू है। अब जल्द ही भारत में उत्तराखंड ऐसा राज्य होगा जहां यूसीसी लागू होगा। दरअसल, उत्तराखंड में अभी इस कानून को लागू करने में कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं। मंगलवार को विधानसभा के पटल पर विधेयक पेश होने के बाद अब इसे पारित होने के पश्चात राजभवन की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और फिर राष्ट्रपति का अनुमोदन लिया जाएगा।

जबकि पर्सनल लॉ में धर्म के आधार पर काफी असमानता है। उदाहरण के तौर पर मुस्लिम व्यक्ति को एक से अधिक विवाह का अधिकार हासिल है, जबकि हिंदू मैरिज ऐक्ट एक से अधिक विवाह पर सख्ती से रोक लगाता है। इसी तरह तलाक के अधिकार भी धर्मों के आधार पर अलग-अलग हैं। पर्सनल लॉ आमतौर पर पुरुषों के हक में झुके हुए हैं, इस कारण भी अब समय के साथ इनमें बदलाव की मांग होती रही है। इस तरह अब समान नागरिक संहिता लागू हो जाने से बाद सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में भी एक रूपता आ जाएगी। यानि शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद, संपत्ति के अधिकारों में धार्मिक

आधार पर असमानता दूर हो जाएगी।

अदालत कर चुकी है पैरवी

सबसे पहले 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी के पक्ष में टिप्पणी की। इसके बाद मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, सरला मुदगल बनाम यूनिवर्स ऑफ इंडिया, शबनम हाशमी बनाम यूनिवर्स ऑफ इंडिया, शायरा बानो बनाम यूनिवर्स ऑफ इंडिया जैसे अनेकों याचिकाओं की सुनवाई के दौरान भी कोर्ट की इस पर सकारात्मक टिप्पणियां आई हैं।

पेट्टीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाम कसना रेग्युलेशन नॉम्स के लगातार गैर-अनुपालन का परिणाम - आरबीआई गवर्नर

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेट्टीएम पेमेंट बैंक पर 31 जनवरी 2024 को बैन लगाया था। तब से हर कोई यही जनाना चाहता है कि आखिर अब पेट्टीएम का क्या होगा। 29 फरवरी के बाद पेट्टीएम बंद तो नहीं हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी मौद्रिक नीति के ऐलान के बाद पेट्टीएम पर भी कई बातें कही। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि पेट्टीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाम कसना रेग्युलेशन नॉम्स के लगातार गैर-अनुपालन का परिणाम था।

वहीं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन ने कहा कि पेट्टीएम पेमेंट्स बैंक की निगरानी की जा रही है और आगे बढ़ने के लिए उचित कदम उठाया जाएगा। मीडिया को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी कहा कि उल्लंघन की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक कोई भी कार्रवाई सिस्टमेटिक स्ट्रेटिजिटी, ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के सर्वोत्तम हित में करता है। पीटीएम मुद्दे पर क्या बोले आरबीआई गवर्नर?

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बिना नाम लिए कहा कि अगर सभी चीजों का अनुपालन किया गया होता, तो केंद्रीय बैंक किसी विनियमन वाली इकाई के खिलाफ कार्रवाई



कब उठाते हैं बैन लगाने संबंधी कदम, आरबीआई ने बताया

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आरबीआई पेट्टीएम को लेकर की गई कार्रवाई के बारे में लोगों की धित्तियों को दूर करने के लिए अगले हफ्ते एफएफयू (बार-बार पूछे जाने वाले सवाल) जारी करेगा, क्यों कि लोगों को कया सवाल उनको मिले हैं, गवर्नर ने कहा कि जब कंस्ट्रिक्ट जुड़ाव काम नहीं

क्यों करता, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पेट्टीएम मामले को लेकर व्यवस्था के बारे में चिंता की कोई बात नहीं, हम केवल भुगतान बैंक की बात कर रहे हैं, गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हमारा जोर हमेशा आरबीआई के नियामकीय दायरे में आने वाली इकाइयों के साथ द्विपक्षीय गतिविधियों पर होता है, हमारा फोकस इकाई को सही कदम उठाने

आता तो हम व्यावसायिक प्रतिबंध लगाने संबंधी कदम उठाते हैं। बता दें कि आरबीआई ने पिछले हफ्ते नियमों का अनुपालन न करने का हवाला देते हुए पेट्टीएम पेमेंट्स बैंक को मार्च से अपने खातों या डिजिटल वॉलेट में नई जमा स्वीकार करना बंद करने का आदेश दिया था।

के लिए प्रोत्साहित करने पर होता है, उन्होंने कहा कि जब बैंक और एनबीएफसी प्रभावी कदम नहीं उठाते हैं तो हम कारोबार से संबंधित पाबंदियां लगाते हैं, उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नियामक होने के नाते व्यवस्था के स्तर पर स्थिरता या जमाकर्ताओं अथवा ग्राहकों के हितों के संरक्षण को ध्यान में रखकर ही हम कदम उठाते हैं।

चेन्नई के स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, ईमेल के जरिए भेजा गया संदेश



चेन्नई के कुछ निजी स्कूलों को गुरुवार को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। पुलिस ने इसकी जानकारी दी और लोगों से नहीं घबराने की अपील की है। हालांकि, इस घटना के बाद माता-पिता अपने बच्चों को स्कूलों से लाने के लिए खुद स्कूल तक जाने को मजबूर हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बताया गया कि शहर के कम से कम चार स्कूलों को ईमेल से धमकी जारी करने के लिए जिम्मेदार अपराधी का पता लगाने के प्रयास जारी हैं, पुलिस ने कहा कि बम धिटेन्शन एंड डिस्पोजल स्कॉड (बीडीडीएस) को स्कूलों में भेजा गया है।

ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने बम की जानकारी देते हुए बताया कि ग्रेटर चेन्नई पुलिस सीमा के कुछ शैक्षणिक संस्थानों में बम की धमकी वाले ई-मेल प्राप्त हुए हैं। जीसीपी/बीडीडीएस टीमों को इन शैक्षणिक संस्थानों में जांच के लिए भेजा गया है और इन ई-मेल भेजने वाले अपराधी की पहचान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

यूपीए के शासन में रुपये में भारी गिरावट, संकट में अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में 'भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र' पेश किया। वित्त मंत्री अपने अंतिम बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार 2014 तक यूपीए शासन के 10 वर्षों में आर्थिक कुप्रबंधन को रेखांकित करते हुए अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र लाएगी। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश 'भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र' में कहा गया कि यूपीए सरकार को अधिक सुधारों के लिए तैयार एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था विरासत में मिली, लेकिन अपने 10 वर्षों में इसे निष्क्रिय बना दिया गया। 2004 में जब यूपीए सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था आठ प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रही थी। श्वेत पत्र में कहा गया कि यूपीए के शासनकाल में निवेशक विदेश चले गए। साथ ही उस दौरान बैंकिंग सेक्टर घाटे में चल रहा था। राजकोषीय घाटे से अर्थव्यवस्था संकट में था।

प्रशासन ने की बाढ़ बचाव की मांक ड्रिल

अजमेर. फॉयसगार झील में मंगलवार को मवेशी और ग्रामीण 'डूब' गए। सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कम्प मच गया। जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन दल, नागरिक सुरक्षा एवं प्रशासन का संयुक्त बाढ़ बचाव मांक ड्रिल के दौरान यह नजारा रहा। जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि बाढ़-तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा को लेकर संयुक्त मांक ड्रिल फायसगार झील पर की गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन दल, राज्य आपदा मोचन दल, नागरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय कैडेट कोर, स्काउट, होमगार्ड, पुलिस विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और अन्य महकमों की ड्रिल में भागीदारी रही।

MAKE YOUR BUSINESS DIGITALIZED

NEWS PORTAL

वेबसाइट बनवाये

NEWS PORTAL WEBSITE

- Hosting
- Unlimited Pages
- Mobile Friendly Website
- Mail Integration
- Contact Form

Special OFFER

15999/-

4999*

Call Us On : 9214839374

www.technocracyssoftwares.com

Reg. No.: COOP/2023/AJMER/205133

श्री देवधाम सेवा समिति भूडोल (अजमेर)

प्राचीन मन्दिर के जीर्णोद्धार हेतु

मूल्य अंतिम

माननीय श्री सुरेश सिंह रावत
जल संरक्षण मंत्री

संयोजक

श्री लंगाम सिंह गुर्जर
राम अजमेरी

अजमेर जिले के इतिहास में पहली बार श्री देवनारायण उपहार योजना

लक्ष्मी झा द्वारा

दिनांक 16 फरवरी 2024

स्थान :

कुल इनाम 201

श्री देवनारायण मन्दिर (बन्नी) भूडोल, अजमेर

कूपन मात्र 299/-

कबड्डी प्रतियोगिता

प्रथम पुरस्कार: 1,00,000/-
द्वितीय पुरस्कार: 51,000/-
तृतीय पुरस्कार: 21,000/-

दिनांक: 14 फरवरी 2024

विशाल भजन संध्या

दिनांक: 15 फरवरी 2024

म्यूजिक सिस्टम: जगदम्बा डी.जे. साउण्ड मेइटा

शियम एवं धर्तः

- चित्त च्यवित के उपहार सुकेश उख उप उपहार को 10 प्रतिशत नविवर विभागे के लिए देना अनिवार्य है।
- सकृपण उपहार योजना को जो भी बरत होनी वो चर्ची लक्षि नविवर विभागे में ही चालनी।
- टोकन को देखने व अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट: www.devdhambhudol.com पर लैब इन कर व अपना सत्यान करवो।

ऑनलाइन कूपन लेने के लिए कॉल या व्हाट्सएप पर सम्पर्क करें:

9509917742, 9509922742

नोट:- विज्ञापन में दिए हुए सम्पर्क नम्बरों के अलावा हमारा कोई दूसरा नम्बर नहीं है

